

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार,
सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नवादा ।

पटना दिनांक.....०१-०३-१९

विषय:- नवादा जिला के लिए सहायक सरकारी वकीलों की नियुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-१९७/विधि, दिनांक-०६.०२.२०१९ के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को नवादा जिला के लिए सहायक सरकारी वकील नियुक्त करते हुए नया पैनल गठित करने की कृपा की है:-

क्र०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
१.	श्री विपिन कुमार कौशिक	१२२४/१९९५
२.	श्री अजीत कुमार सिन्हा	५६५/१९९५
३.	श्री हसनैन बायेज	२०८३/१९९८
४.	श्री अशोक कुमार सिन्हा	२४६/१९७०
५.	श्री महेश प्रसाद विश्वकर्मा	११८७/१९९०
६.	श्री अरूण कुमार सिन्हा	६८०/१९८१
७.	श्री संतोष कुमार सिन्हा	१५९८/१९९५
८.	श्रीमती सुनीता कुमारी	४३१/१९९८
९.	श्री रामाशंकर मिश्रा	५४७६/१९९६
१०.	डॉ० संजय कुमार मिश्रा	१८१२/१९९५
११.	श्री उमेश्वर प्रसाद सिंह	४२२९/१९९६
१२.	श्री उपेन्द्र कुमार	१८२१/१९९१
१३.	श्रीमती आशा कुमारी	२७४२/२००४
१४.	श्री कन्हैया पंडित	११८८/२०००
१५.	श्री सुचीत कुमार	८६७/२००४
१६.	श्री धमेन्द्र कुमार त्यागी	१९८५/१९९९
१७.	श्रीमती निशा गुप्ता	१९५५/२००६
१८.	श्री जयराम प्रसाद	२०६१/१९९०
१९.	श्री देवमुनी पासवान	३०४१/२००३

२. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

३. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देया होगा।

4. संबंधित सहायक सरकारी वकील यदि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/अपर लोक अभियोजक/किसी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक या सरकार द्वारा प्रायोजित किसी परियोजना में लाभ के पद पर कार्यरत है, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। उन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार)

ज्ञापांक.....1848....., पटना, दिनांक.....01-03-19..... सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा/सरकारी वकील, व्यवहार न्यायालय, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(राजीव कुमार)

ज्ञापांक.....1848....., पटना, दिनांक.....01-03-19..... सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को ई0मेल करने हेतु प्रेषित।

(राजीव कुमार)

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।
01-03-19